तारीख
हुक्म
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आज आपके द्वारा 2018

28/18

प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांडावा में पेश हुई। प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ लगाये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में पेश दर्ज पर वादिया ने इयादी निवेदन मय वादपत्र किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादिया के पास लिखे गये सहज मे शामिल कुर्की नहीं करने पर प्रतिवादी मय भी पास वादियों की वादग्रस्त भूमि की कुर्की की कार्यवाही से बचाने के लिए यह प्रार्थना की है। वादियों का वाद निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वादियों का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर की जाती है। प्रमाण कौशल कुमार रीडर नायब तहसीलदार ने मय ही तथा वाद निर्णय प्रतिलिपि तैयार की जाती है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांडावा के समक्ष आज दिनांक सुनाया जाता है।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट